**बिहार सरकार**

**<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>**

पत्रांक 168419 पटना, दिनांक 12/11/13

ग्रा0वि0- 7(आं)24/2013

प्रेषक,

**मिहिर कुमार सिंह,**
आयुक्त मनरेगा,

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,**

**विषय -:** **मनरेगा अंतर्गत efms के क्रियान्वयन के संबंध में ।**

**प्रसंग:-** **भारत सरकार का पत्रांक- K-11011/2/2008-NREGA(Mon)/TS-[FTS-15628]**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि मनरेगा अंतर्गत efms को लागू किया जाना अनिवार्य है (प्रति संलग्न)। भारत सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन मनरेगा मार्गदर्शिका 2013 (operational guideline-2013) के अध्याय 8 के कंडिका 8.4 तथा 8.5 का कृपया संदर्भ किया जाय ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देशानुसार दिनांक 01.12.2013 से संपूर्ण राज्य में efms लागू किया जाना है । MIS पर प्रदर्शित Account freezing के आंकडों से स्पष्ट है कि इस कार्य में प्रगति नही हो रही है जो अत्यंत चिन्ता का विषय है । ई-मस्टर के आधार पर MIS से भुगतान आदेश प्राप्त करने संबंधित निर्देश के कार्यान्वयन हेतु भी खातों का सत्यापन एवं MIS पर तदनुसार अद्यतीकरण जरूरी है । इस क्रम में दिनांक 31.10.2013 को उप विकास आयुक्तों की समीक्षात्मक बैठक में धीमी प्रगति पर खेद प्रकट करते हुए efms के क्रियान्वयन में प्रगति लाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये है-

1. efms के क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों के द्वारा एक नोडल ऑफिसर नामित किया जाय एवं आवश्यकतानुसार इनकी सहायता हेतु एक अन्य पदाधिकारी/तकनीकि विशेषज्ञ नामित किये जाय ।
2. नामित नोडल पदाधिकारी जिलें में efms के ससमय क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार होगें ।
3. राज्य स्तर से उपर्युक्त नोडल पदाधिकारी एवं नामित अन्य पदाधिकारी से समन्वय स्थापित किया जायेगा एवं इन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा । ये पदाधिकारी जिले में efms से संबंधित अग्रेतर प्रशिक्षण का कार्य करेंगे ।
4. efms लागू करने हेतु तिथियाँ निम्नवत पुन: निर्धारित की जाती है-
   I. पाईलेट के लिए चयनित जिलें यथा किशनगंज, शिवहर, शेखपुरा, जहानाबाद एवं अरवल जिलें में दिनांक 30.11.2013 से मजदुरी भुगतान हेतु निधी का संपूर्ण अंतरण efms के माध्यम से किया जायेगा ।

   II. शेष जिलों में दिनांक 31.12.2013 से efms के माध्यम से ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। उक्त तिथियों के पूर्व अपेक्षित कार्रवाई यथा

   (क) जॉब कार्डधारियों के खातों को सत्यापन

   (ख) तदनुसार MIS का अद्यतिकरण एवं खातों की MIS पर freezing

   (ग) Digital signature का उपयोग कर उक्त के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान MIS के द्वारा करने की तैयारी ।

(ग) Digital signature का उपयोग कर उक्त के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान MIS के द्वारा करने की तैयारी ।

इस क्रम में efms क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से जिलों द्वारा नामित नोडल पदाधिकारीयों एवं तकनीकि विशेषज्ञों का प्रशिक्षण BSWAN पर विडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से निम्नवत निर्धारित गया है

दिनांक 13.11.2013 को अपराह्न 1:30 बजे से उत्तर बिहार के सभी जिले यथा अररिया, बेगुसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगडिया, किशनगंज, मधुबनी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढी, सिवान, सुपौल एवं वैशाली प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे ।

दिनांक 14.11.2013 को अपराह्न 1:30 बजे दक्षिण बिहार के सभी जिलें यथा पटना, औरंगाबाद, बॉका, कैमूर (भभुआ), भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, नालन्दा, रोहतास, शेखपुरा एवं अरवल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे ।

आप अवगत है कि अद्यतन मनरेगा मार्गदर्शिका 2013 (operational guideline-2013) आपके विभिन्न दायित्वों में एक-

"इस बात को सुनिश्चित करना है कि जॉब कार्ड जारी करने, कार्य के लिए आवेदनों को दर्ज करने, कार्य का आवंटन मजदूरी स्लिप एवं निधि अंतरण आदेश (एफ0टी0ओ0) बनाने, किये गए कार्यों से संबंधित प्रविष्टियॉ, मजदूरी का विलम्ब से भुगतान और बेरोजगारी भत्ते सहित सभी प्रकार का लेन देन केवल नरेगा सॉफ्ट के जरिये ही किया जाय ।" **(अद्यतन मनरेगा मार्गदर्शिका 2013 का कंडिका 2.3.1. xvi)**

कृपया ससमय efms लागू करने हेतु कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

**(मिहिर कुमार सिंह)**
आयुक्त मनरेगा

ज्ञापांक संख्या 168419 पटना, दिनांक 12/11/13

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त मनरेगा

ज्ञापांक संख्या 168419 पटना, दिनांक 12/11/13

प्रतिलिपि- श्री शादाब खान, BSWAN को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त मनरेगा

132

**URGENT**

No. K-11011/2/2008-NREGA (Mon)/TS-[FTS-15628]

**Government of India**
**Ministry of Rural development**
**(Mahatma Gandhi NREGA Division)**

Krishi Bhavan, New Delhi
Date: 04.09.2013

To

**The Principal Secretary/ Secretary**
(In-charge MGNREGA)
All States/ UTs

**Subject: Implementation of e-FMS in all districts under MGNREGA by 1st December, 2013.**

Sir/ Madam,

This Ministry has instructed all states/UTs to adopt an integrated fund management system i.e. e-FMS (electronic Fund Management System) to ensure timely settlement of liabilities towards wages, material and administrative expenses under MGNREGA. The e-FMS not only maintains only one centralized account at State/ district level but also ensures timely availability of funds at all level and transparent usage of MGNREGA funds.

2. It has been decided to complete the rolling out of e-FMS throughout the country by 01.12.2013. To ensure this objective, a one-month drive may be launched in your state from 15.09.2013 to verify and update Bank/ Post Office account numbers in the programme database. In addition, identification of all officers who could be authorised to generate FTOs may be completed and procurement of their digital signature certificates (DSCs) initiated before end-September 2013 so that these DSCs can be issued to the authorised signatories by 15th October, 2013.

3. To fast forward the Ministry's endeavour towards universalizing e-FMS under MGNREGA and to review e-FMS preparedness of the States, a **Video Conference** has been scheduled under the chairmanship of Sh. S. M Vijayanand with all the state secretaries and the District Programme Coordinators (DPCs) **at 3 PM on 11.09.2013**. You, along with the DPCs in your State, are requested to remain available for the proposed video conference.

Yours faithfully,

4/9

**(R. Subrahmanyam)**
Joint Secretary
Tel. No. 2338 5027
Fax No. 2338 4703

Copy to:

1. PPS to Secretary (RD), Ministry of Rural Development — 58420
2. PPS to AS & FA, Ministry of Rural Development — 58420(3)
3. PPS to AS, Ministry of Rural Development — 58420 (2)
4. PPS to Joint Secretary (RE-II), Ministry of Rural Development — 58420 (1)
5. Sr. TD (NIC)

O/c
Issued
05/09/13